

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5213
विधायक श्री के.के. श्रीवास्तव (फरवरी—मार्च, 2017)

शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं
की सूची:-

- (1) परिपत्र क्रमांक 166 / 156 / 1 / वेआप्र / 88, दिनांक 12 अप्रैल, 1988
अनुसार 9 दिन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।
- (2) परिपत्र क्रमांक एफ, सी-3-8 / 89 / 49, दिनांक 16 मार्च, 1989 अनुसार
नसबंदी आपरेशन कराने वाले पुरुषों को छः दिन से अधिक न हो,
मजदूरी, गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को 14 दिन
एवं लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी का
प्रावधान है।
- (3) परिपत्र क्रमांक एफ, 5-1 / 1 / वे.आ.प्र. / 95, दिनांक 2 / 13 जून, 1997
द्वारा दिनांक 01.01.84 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् दैनिक वेतन भोगी
महिला कर्मचारियों को 90 दिन का प्रसूति अवकाश(संवैतनिक) मिलने की
स्वीकृति दी गई है।
- (4) परिपत्र क्रमांक एफ, 5-1 / 2013 / 1 / 3, दिनांक 07.10.2016 अनुसार
मजदूरी के स्थान पर वेतनमान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता एवं उपादान के
निर्देश है।